

निबंधन संख्या पी०टी०-४०



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण 1943 (श०)  
(सं० पटना ६४६) पटना, बुधवार, 28 जुलाई 2021

बिहार विधान सभा सचिवालय

vf/kl puk  
28 जुलाई 2021

सं० वि०स०वि०-25 / 2021-**2488** / वि०स० ।—“fcgkj eky vkg l sk dj ॥ ॥ कल्कु½ fo/ks d] 2021”,  
जो बिहार विधान सभा में दिनांक 28 जुलाई, 2021 को पुरस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य  
संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,  
भूदेव राय,  
प्रभारी सचिव।

[विंस०वि०-१९/२०२१]

fcgkj eky vks l sk dj ¼ àksku½fo/kş d] 2021

fcgkj eky vks l sk dj vf/fu; e] 2017 fcgkj vf/fu; e&12] 2017½dk l åkkku djus ds fy, fo/ks dA

## भारत गणराज्य के बहुतरवें वर्ष में

- (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2- /kjk 7 dk 1 áksku]A& विहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और किया गया समझा जाएगा। अर्थात् :

“(क) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न है, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्येन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहारः”।

**Li "Vhdj. k&** इस खंड के प्रयोजनों के लिए , यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतिरिष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे ।

3- /kjk 16 dk 1 åkkluA& मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बहिर्गामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसचित किए गए हैं।”

4- /kjk 35 dk l akhlaA& मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।

5- /kjk 44 ds LFku ij] ubz/kjk dk ifrLFki uA& मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"44. वार्षिक विवरणी— किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जिसे विहित किया जाए, संपर्कशित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हए, एक स्वप्रमाणित समेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा:

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफरिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छट प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस धारा में की कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन हैं या तत्समय प्रवृत् किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।”

6- **का॒ ला॑ कुला॑ कुला॑** मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोध्य तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में

धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके संदत किया जाता है।"

7- /**kjk 74 dk 1 alkkuA&** मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में, "तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "तो धारा 122 और धारा 125 के" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

8. /**kjk 75 dk 1 alkkuA&** मूल अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (12) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्वनिर्धारित कर" पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।"

9- /**kjk 83 dk 1 alkkuA&** मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनन्तिम रूप से कुर्कुत कर सकेगा।"

10- /**kjk 107 dk 1 alkkuA&** मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।"

11- /**kjk 129 dk 1 alkkuA&** मूल अधिनियम की धारा 129 में,—

(i) उपधारा (1) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखें जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है:

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है।"

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा :

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,

अर्थात्—

"(3) माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को निर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात् उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तामील की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।"

(iv) उपधारा (4) में, "कर, ब्याज या शास्ति" शब्दों के स्थान पर, "शास्ति" शब्द रखा जाएगा:

(v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,

अर्थात् :—

"(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथाउपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन,

उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परंतु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्वास की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि समुचित अधिकारी द्वारा, ऐसे समय के लिए जो वह ठीक समझे, कम की जा सकेगी ।”।

#### 12- /kjk 130 dk l ákskuA& मूल अधिनियम की धारा 130 में,—

- (क) उपधारा (1) में, “इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई” शब्दों के स्थान पर, “जहां” शब्द रखा जाएगा:
- (ख) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, “धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति” शब्द रखे जाएंगे :
- (ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

#### 13- /kjk 151 ds Lfku ij] ubZ/kjk dk i frLfku uA& मूल अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“151. सूचना मांगने की शक्ति – आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्रूप और ऐसी रीति में, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।”।

#### 14- /kjk 152 dk l ákskuA& मूल अधिनियम की धारा 152 में,—

- (क) उपधारा (1) में,—
  - (i) “कोई व्यष्टिक विवरणी या उसके भाग की” शब्दों का लोप किया जाएगा:
  - (ii) “ऐसी सूचना” शब्दों के पश्चात् ‘‘संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे :
- (ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

#### 15- vuq ph 2 dk l ákskuA& मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, पैरा 7 का 1 जुलाई, 2017 से लोप किया जाएगा और उक्त तारीख से उसका लोप हुआ समझा जाएगा ।

#### 16- okf.kT; &dj foHkx dh vf/kl puk 1 4;k , 10v k 183] fnukd 25 uoEcj] 2020 dks Hwv{h #i 1 s choh fd; k t kuka& वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 183, दिनांक 25 नवम्बर, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या— 909, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को 1 अक्टूबर, 2020 से आरंभ होने वाली और 24 नवम्बर, 2020 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान भूतलक्षी रूप से प्रभावी समझा जाएगा ।

### foHkx 1 yqk

प्रस्तावित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 में राज्य की संचित निधि से कोई आवर्ती या गैर-आवर्ती व्यय शामिल नहीं है ।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

1/ kjk fd' kjk i k ln½  
Hjk & l kld l nL; A

mís ; , oag̱q

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तदनुसार राज्य में भी बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 प्रख्यापित किया गया है।

इस नई कर प्रणाली के लागू किये जाने के उपरान्त इसके कतिपय प्रावधानों को लेकर कठिनाईयाँ प्रकाश में आयीं। इन पर जीएसटी परिषद् की बैठकों में विचार किया गया। तदालोक में संसद द्वारा यथा पारित वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की कई धाराओं में संशोधन किये गये हैं। वित्त अधिनियम, 2021 भारत के राजपत्र में प्रकाशित भी किया जा चुका है।

चूंकि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम एक दूसरे के प्रतिविम (Mirror Image) हैं। अतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में किये गये किसी भी संशोधन के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना चाहिये है।

प्रस्तावित (संशोधन) विधेयक की मुख्य बातों में कलब अथवा सोसाईटी जैसे संस्थानों द्वारा अपने सदस्यों को किसी प्रतिफल के बदले दी गयी किसी सेवा को अधिनियम के अधीन supply समझे जाने हेतु अधिनियम की धारा 7 में संशोधन, क्रेता व्यवसायी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिये जाने की शर्त को विस्तारित किये जाने हेतु धारा 16 में संशोधन, किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट कराये जाने की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु धारा 35 में संशोधन, अधिनियम के अधीन ब्याज की देयता केवल नगद भुगतान की राशि तक सीमित करने के उद्देश्य से धारा 50 में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन, विवरणी GSTR-1 के आधार पर करदेयता स्थापित करने हेतु धारा 75 में संशोधन, अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध अपील दायर करने के पूर्व शास्ति का 25 प्रतिशत जमा किये जाने हेतु धारा 107 में संशोधन, बगैर कागजातों के माल के परिवहन की दशा में देय कर के बजाय मात्र कर के दोगुणी शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु धारा 129 में संशोधन, अधिनियम के प्रयोजनार्थ सूचना एकत्रित करने के लिये आयुक्त को सशक्त बनाये जाने हेतु धारा 151 में संशोधन एवं गत विधान-सभा चुनावों के कारण विमुक्ति से संबंधित राज्य स्तर पर निर्गत अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने जैसे संशोधन शामिल हैं।

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

rkjfd 'kj i k kn]  
Hkj & l k/kd l nL; A

पटना  
दिनांक—28.07.2021

भूदेव राय,  
प्रभारी सचिव  
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 646-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>